FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ____________________ मुकाम ____________________

श्रीमती शान्ती ____________________ बनाम कजोड़ आदि

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र ____________________ नं. 78 ____ सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
2/3/2021	अधिवक्ता प्रार्थीया ने वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश न्यायहित में मेरी एकतरफ़ा बहस सुनने की प्रार्थना की। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 63 ख. नं. 4432 रकबा 014 है0, ख. नं. 4433 रकबा 0. 13 है0, ख. नं. 4439 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली में स्थित है, को खातेदार कजोड़ से जरिए इकरारनामा दिनांक 03.02.2021 को क्रय की थी। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय मूल्य की चूकती रकम 100000/–रूपये में से 700000/–रूपये रोकड़ी अप्रार्थी संख्या 1 को अदा कर दिये तथा शेष राशि राशि पंजीयन के समय अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को प्रार्थीया के हक में पंजीयन कराते समय करनी थी, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 1 के कहने पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 पंजीयन करवाने नासिरदा आये परन्तु उस दिन पंजीयन साईट नहीं चलने के कारण पंजीयन नहीं हो सका। तब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने 1–2 दिन में पंजीयन के लिए आने के लिए कहा। जब प्रार्थीया ने पंजीयन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को कहा परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के मन में बईमानी आने के कारण पंजीयन के लिए मना कर दिया और अब अन्य दीगर व्यक्ति को बेचने पर आमादा है। इस अवैध कृत्य के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को रोका जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को उक्त कृत्य नहीं करने के लिए जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन व अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को पाबंद किया जाना उचित है। अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य किसी माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीया कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 63 ख. नं. 4432 रकबा 014 है0, ख. नं. 4433 रकबा 0.13 है0, ख. नं. 4439 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान व वसीयत नहीं करे। राजस्व रिकार्ड की यथास्थित आगामी तारीख पेशी या तामील होने तक जो भी पहले हो बनाए रखे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 07.04.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/5/24	PO स्व.अवकाश/राजकार्य से दौरे पर बाहर/टोंक पधारे है। पत्रावली दिनांक 14/5/24 को पेश हो।	
14/5/24	PO स्व.अवकाश/राजकार्य से दौरे पर बाहर/टोंक पधारे है। पत्रावली दिनांक 18/8/24	
18/8/24	PO स्व.अवकाश/राजकार्य से दौरे पर बाहर/टोंक पधारे है। पत्रावली दिनांक 30/9/24 को पेश हो।	
30/9/24	अवकाश/राजकार्य से दौरे पर बाहर/टोंक पत्रावली दिनांक 3/1/25	
3/1/22	वादी प्रार्थी ने प्रा. पत्र राजीनामा मे खारिज किये जाने बाबत एक प्रा. पत्र बाद मे पेश किया बाद राजीनामा खारिज हो चुका अतः प्रा. पत्र अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा 2/3/24 को अदाप्त किया जाता है प्रा. पत्र राजीनामा मे खारिज किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	